प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1449/2007

याचिकाकर्ता - श्रीमती विमला गिरी, पति श्री पीतांबर गिरी, आयु लगभग 48 वर्ष, सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरोना, जिला कांकेर (छ.ग.), निवासी पानी टंकी रोड, भर्रीपारा, सरोना, कांकेर (छ.ग.)।

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छ.ग.)।

2. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला कांकेर (छ.ग.)।

3. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरोना, कांकेर (छ.ग.)।

4. राजेंद्र बिष्टा, पिता भोला दत्त बिष्टा, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी ग्राम एवं डाकघर सरोना, थाना दधोना, जिला कांकेर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

उपस्थित:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री राहुल झा, अधिवक्ता ।

उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3/राज्य की ओर से सुश्री दीपाली पांडे, पैनल अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

.....

आदेश

(दिनांक 13 मार्च, 2007 को पारित)

(1) याचिकाकर्ता, जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरोना, जिला कांकेर में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत थी, को दिनांक 12.02.2007 (अनुलग्नक पी./10) के आदेश द्वारा इस आधार पर निलंबित किया गया कि उसके विरुद्ध प्राप्त अनेक शिकायतों के दृष्टिगत विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है।

(2) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वह एक प्रकरण की पिडिता है तथा उत्तरवादी क्रमांक 4 के विरुद्ध अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(3) तथापि, यह याचिकाकर्ता का दायित्व है कि वह विभागीय कार्यवाही में यह सिद्ध करे कि शिकायतें मिथ्या हैं या नहीं। यह न्यायालय उन तथ्यात्मक पहलुओं का परीक्षण नहीं कर सकता, जिनके लिए विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है। आक्षेपित निलंबन आदेश मध्य प्रदेश सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत पारित किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी अथवा वह प्राधिकारी जिसके अधीन वह कार्य करता है, या अनुशासनिक प्राधिकारी, अथवा सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से अधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी, किसी शासकीय सेवक को उस स्थिति में निलंबित कर सकता है जब उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित हो या लंबित हो।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) यह कोई विवाद नहीं है कि आक्षेपित निलंबन आदेश पारित करने वाला अधिकारी सक्षम प्राधिकारी नहीं था। निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है, जैसा कि उपर्युक्त नियम 9(1)(क) में अपेक्षित है।

(5) यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि निलंबन एक अस्थायी उपाय है तथा यह किसी दंड के रूप में दुष्परिणाम उत्पन्न नहीं करता। निलंबन का अभिप्राय केवल कर्तव्यों के निर्वहन से अस्थायी वंचना है, जिससे न तो पद में कोई कमी होती है और न ही पदस्थिति में। निलंबित कर्मचारी शासकीय सेवक बना रहता है; तथापि, विभागीय जांच लंबित रहने के कारण उसे कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती, जिससे कि जांच

की कार्यवाही पर अनुचित प्रभाव न पड़े तथा अभिलेखों से छेड़छाड़ की संभावना न रहे। इस चरण पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की समीक्षा करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इससे लंबित विभागीय जांच में पक्षकारों के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है (देखें : श्रीमती फिलोमिना एक्का बनाम छत्तीसगढ़ राज्य[1])।

(6) मैं निलंबन आदेश में किए गए आरोपों की जांच करना उपयुक्त नहीं समझता, क्योंकि विभागीय जांच पहले से विचाराधीन है। यह आदेश याचिकाकर्ता के विरुद्ध लंबित जांच में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। जांच प्राधिकारी इस आदेश से अप्रभावित रहते हुए स्वतंत्र रूप से जांच आगे बढ़ाएगा।

(7) उपर्युक्त के आलोक में, यह याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

(8) फलस्वरूप, अंतरिम अनुतोष प्रदान करने हेतु प्रस्तुत आवेदन, एम (डबल्यू) पी. याचिका क्रमांक 929/2007, भी निराकृत किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

1 2006 (2) C.G.L.J. 64